RSWM/SECTT/2020
March 23, 2020

BSE Limited Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street MUMBAI 400001	National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, C-1, Block – G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI- 400051

Sub: Force majeure closure of the operations

Dear Sir,

In compliance to Clause 6 of Part B, Schedule III of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please take note that in view of attached Press Note dated 21st March, 2020. of Government of Rajasthan enforcing lock down with effect from 21st March, 2020 due to COVID-19, resulting into closure of all industrial/commercial units other than exempted ones, we have shut down operations of all eight manufacturing plants of the Company. Further, in view of similar measure being taken by other State Governments to contain spread of COVID-19, our Corporate Office located in NCR and marketing/other offices of the Company situated pan India have been closed and the Employees have been advised to work from home to the extent possible.

The Company is in the process of minimizing losses which may arise consequent to aforesaid closures. The resumption of operations would depend upon the actual future situation and we will inform accordingly.

Thanking You,

Yours faithfully,
For RSWM LIMITED

SURENDER GUPTA
AVP – LEGAL & COMPANY SECRETARY
FCS – 2615

Encl.: As above

Unit Gulabpura & Regd. Office :
Kharigram, P. B. No. 28, Post Office Gulabpura - 311 021
Distt. Bhilwara, (Rajasthan), India
Tel. : +91-1483-223144 to 223150, 223478
Fax : +91-1483-223361, 223479
Website : www.rswm.in

Corporate Office :
Bhilwara Towers, A-12, Sector-1
Noida - 201 301 (NCR-Delhi), India
Tel. : +91-120-4390300 (EPABX)
Fax : +91-120-4277841, 4277842
Website : www.lnjbhilwara.com

Corporate Identification Number: L17115RJ1960PLC008216

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ

कोरोना संक्रमण की समीक्षा के दौरान सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय

प्रदेश में 31 मार्च तक पूरी तरह लॉकडाउन करें : मुख्यमंत्री

जयपुर, 21 मार्च। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 22 मार्च से 31 मार्च तक पूरी तरह लॉक डाउन के निर्देश दिए हैं। इस लॉक डाउन के तहत आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्ति समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां एवं सार्वजनिक परिवहन आदि बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लोगों का घरों में रहना बेहद जरूरी है।

श्री गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। आमजन कोरोना को हराने के लिए सरकार के निर्णयों और एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो।

दैनिक निर्णयों के लिए कोर ग्रुप गठित

मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के अनुरूप दैनिक आधार पर अलग–अलग विभागों संबंधी सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं उनको क्रियान्वित कराए जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं परिवहन श्री राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। इस ग्रुप में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शासन सचिव खाद्य एवं आपदा प्रबंधन, शासन सचिव सामान्य प्रशासन, शासन सचिव श्रम और संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव सदस्य होंगे। यह कोर ग्रुप लॉकडाउन एवं अन्य पाबंदियों के कारण आम जनता विशेषकर गरीब एवं वंचित वर्ग की आवश्यकताओं हेतु लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनी अभिशंषा करेगा।

एनएफएसए से जुड़े परिवारों को दो माह का गेहूं निःशुल्क

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस दौर में लोगों को खाद्य सामग्री को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े एक करोड़ से अधिक परिवारों जिनको एक रूपए एवं दो रूपए प्रतिकिलो गेहूं मिलता है, उन्हें मई माह तक गेहूं निःशुल्क दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को मिलेंगे खाद्य सामग्री के पैकेट

श्री गहलोत ने शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेण्डर्स, दिहाड़ी मजदूरों एवं ऐसे जरूरतमंद परिवारों जो एनएफएसए की सूची से बाहर हैं, को एक अप्रेल से दो माह तक आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। ये पैकेट जिला प्रशासन तथा नगरपालिकाओं के सहयोग से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण अप्रेल के प्रथम सप्ताह में

श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस से पैदा हुए हालातों में सभी प्रकार के पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभार्थियों को वितरण अप्रेल माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा।

लॉक डाउन के दौरान फैक्ट्री श्रमिकों को मिले सवैतनिक अवकाश

मुख्यमंत्री ने अपील की है कि लॉक डाउन के दौरान बंद रहने वाली फैक्ट्रियों में किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जाए तथा उन्हें इस अवधि का सवैतनिक अवकाश देना चाहिए। उन्होंने इसके लिए श्रम विभाग को निर्देश दिए कि फैक्ट्री प्रबंधकों से निरंतर सम्पर्क रखा जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रोहित कुमार सिंह, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।